



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 7] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 2, 1981/पौष 12, 1902
No. 7] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 2, 1981/PAUSA 12, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

बाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 1-आईटीसी/पी एन/81

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 1981

विषय : अप्रैल 1980—मार्च 1981 के लिए आयात-नीति ।

सि० सं० 1/45/आरईपी/74-ईपीसी/बा० 3.—वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना
सं० 9-आई टी सी/पी एन/80 दिनांक 15 अप्रैल, 1980 के अधीन प्रकाशित अप्रैल 1980—
मार्च 1981 के लिए आयात-नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

2. उक्त आयात नीति में निम्नलिखित संशोधन की वृत्ति दशादि गण उचित स्थानों पर किए गए समझे जाएं :-

क्रम आयात-नीति सं० 1980-81 की पृष्ठ संख्या	संशोधन	संशोधन
1 172 अनुबंध-1 से अनुबंध-19 तक	(1) कालम-2 में वर्तमान माल के विवरण के लिए निम्नलिखित विवरण प्रतिस्थापित किया जाएगा :	
प्रथम अनुसूची	"खनिज सोम, कच्चा पेट्रोलियम, कोक और कैल्साइड पेट्रोलियम कोक".	
क्रम सं० 5	(2) कालम-3 में जोड़ें सं० 27.12/13 के पश्चात् "और 27.14/16" शब्द और आंकड़े जोड़े जाएंगे।	
कालम 2 और 3		
2 173 अनुबंध 1 से अनुबंध 19 तक	क्रम सं० 29 के पश्चात् कालम 1, 2 और 3 में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :-	
प्रथम अनुसूची		
क्रम सं० 29		
	1	2
	3	
	"29-क	छत्तरी की तीलीया 66.01/03"

मणि नारायण स्वामी
मुख्य निबंधक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 1 ITC (PN)/81

New Delhi, the 2nd January, 1981

Subject: Import Policy for April 1980—March, 1981.

F. No. 1/45/REP/74/EPC/Vol. III.—Attention is invited to Import Policy for April, 1980—March 1981, published under the Department of Commerce Public Notice No. 9-ITC (PN)/80 dated the 15th April, 1980.

2. The following amendments shall be deemed to have been made in the said Import Policy at the appropriate places indicated below:—

Sl. No.	Page No. of Import Policy 1980-81	Reference	Amendments
1	172	Annexure I to Appendix 19 The First Schedule Sl. No. 5 Cols. 2 and 3	(i) In Col. 2, the following description shall be substituted for the existing description of goods:— "Mineral waxes, raw petroleum coke and calcined petroleum coke." (ii) In Col. 3, after Heading No. 27.12/13, the word and figures: "and 27.14/16" shall be added.
2	173	Annexure I to Appendix 19 The First Schedule Sl. No. 29	After Sl. No. 29, the following shall be inserted in Cols. 1, 2 and 3;—
		1 2 3	
		"29A Umbrella ribs	66.01/03"

MANI NARAYAN SWAMI, Chief Controller of Imports and Exports

